कार्यालय मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता)
ब्लाक 3, प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष क्र. एवं फैक्स नं. 0771–2446971, e-mail id - ctev.wrd-cg@gov.in

ज्ञापन क्र. 1397 /मु.त.प.(स.)/भर्ती नियम–35/2018 *नया रायपुर, दिनांक 13/08/2018*

विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क. एफ 3–8/2005/1–7, नया रायपुर, दिनांक 04.12.2014, सहपठित पत्र कं. एफ 3–8/2005/1–7 (पार्ट–1), नया रायपुर दिनांक 07.06.2017 के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) छत्तीसगढ के अंतर्गत सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर के रिक्त पद पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर के वेबसाईट cgvyapam.choice.gov.in पर आमंत्रित किये जाते है :–

परीक्षा कार्यकम निम्नानुसार है :–

1. परीक्षा की तिथि (संभावित तिथि) – 07 अक्टूबर 2018 (रविवार)
2. परीक्षा का समय : – पूर्वान्ह 10.00 से 1.15 बजे तक
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि – 20.08.2018 (सोमवार)
4. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि – 11.09.2018 (मंगलवार), रात्रि 11.59 बजे तक
5. व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि – 01.10.2018 (सोमवार)
6. परीक्षा केन्द्र : – रायपुर

रिक्त पद का विवरण निम्नानुसार है :–

स.क.	पदनाम	वेतन + ग्रेड पे	कुल रिक्त पद की संख्या	अनारक्षित	अ.ज.जा.	अनु. जाति	अ.पि.व.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	9300–34800+4300	01	01	–	–	
कुल योग			**01**	01	–	–	

श्रेणी एवं वर्गवार आरक्षण :–

स.क.	वर्ग	पद संख्या				योग
		मुक्त	महिला	विकलांग	भू.पू.सै.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अनारक्षित	01	–	–	–	01
2.	अनुसूचित जाति	–	–	–	–	–
3.	अनुसूचित जनजाति	–	–	–	–	–
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	–	–	–	–	–
योग		01	–	–	–	01

यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के रिटपिटिन क. (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होगी।

परीक्षा पाठ्यकम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि, परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश व्यापम के वेबसाईट पर cgvyapam.choice.gov.in पर देखा जा सकता है।

मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता)
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, बुधवार, दिनांक 9 फरवरी 2011—माघ 20, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर,, दिनांक 9 फरवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3—10/2007(PF-2). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) तृतीय श्रेणी सेवा में भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** — (1) ये नियम छत्तीसगढ मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) तृतीय श्रेणी सेवा नियम—2010 कहलायेंगे ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएं** — इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, मुख्य तकनीकी परीक्षक;

(ख) "समिति" से अभिप्रेत है, शासन द्वारा अनुमोदित चयन समिति;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन भर्ती के लिये आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

(घ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ शासन;

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ के राज्यपाल;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(झ) "अन्य पिछडा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) तृतीय श्रेणी सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ राज्य ।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– छत्तीसगढ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन** – सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति समाविष्ट होंगे, अर्थात् –

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हो।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होगी ।

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय–समय पर या तो स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :–

(क) प्रतियोगिता परीक्षा/चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवा में तथा ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हो, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन, भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची –दो में दर्शाए गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाई जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की

सहमति के साथ, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करें।

(5) सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरे जाने के लिए, मेरिट के आधार पर चयन के लिये मापदंड, शासन द्वारा निर्धारित किया जायेगा । तथापि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति गठित की जानी चाहिए जो इन मापदंडों से भिन्न अन्य युक्तिसंगत मापदंड शासन की सहमति से अपना सकेगी ।

(6) भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान लागू होंगे ।

7. **सेवा में नियुक्तिः**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां शासन द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती की पात्रता की शर्तें**:– सीधी भर्ती हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्:–

(1) आयुः–

(क) चयन के प्रारंभ होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची– तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूर्ण कर ली हो तथा उसने उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(ग) सीधी भर्ती के समस्त कर्तव्य पदों पर, महिला अभ्यर्थियों के लिये भी, उच्चतर आयु सीमा 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी किन्तु विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 (पांच) वर्ष की अतिरिक्त छुट दी जायेगी ।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी :–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थाई या अस्थाई शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये । यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक सात वर्ष तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः– शब्द "छंटनी किये गये शसकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी प्रदेशों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो और जो जिसे रोजगार कार्यालय में अपना एंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो और जिसने किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छंटनी की गई हो या जो जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्:–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन्स) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो।

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक ।

(4) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल है)।

(5) अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी ।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है ।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(छ) अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा में 5 (पांच) वर्ष तक की शिथिलनीय होगी ।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी है, के लिये उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष होगी ।

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में, उनके द्वारा इस प्रकार की गयी सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की

सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये ।

(ट) उपरोक्त किसी एक या अधिक आधार पर आयु सीमा में छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत, शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु आयु सीमा 45 (पैंतालीस) वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(ठ) आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेंगे ।

(टीप)–(1) उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते है तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे । किसी भी अन्य मामले में आयु सीमायें शिथिल नही की जायेगी ।

(टीप)–(2) विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा में उपसंजात होने के लिये उनके नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी ।

(2) **शैक्षणिक अहर्तायें तथा अनुभव** :– अभ्यर्थी के पास ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव होना चाहिये जैसा कि अनुसूची–तीन के कॉलम (5) में विहीत है ।

(3) **फीस**:– अभ्यर्थी को शासन द्वारा विहीत फीस का भुगतान करना होगा ।

9. **निरर्हतायें**:– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिये किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा परीक्षा में चयन के लिये उसे निरर्हित माना जा सकेगा ।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा** :– चयन के लिये किसी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती**– (1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती – नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति का गठन करेगा जिसमें तीन सदस्य होंगे:–

(क) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसे अंतरालों से ली जायेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी सरकार के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करें।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा, चयन समिति द्वारा ली जायेगी ।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती** :–

(एक) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अंतरालो से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर अवधारित करें ।

(दो) सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा उनके साक्षात्कार के पश्चात् किया जायेगा ।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो से संबंधित व्यक्तियों के लिये सीधी भर्ती के प्रकम में पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित रखे जायेंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य है नियुक्ति हेतु उसी कम में विचार किया जायेगा जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो ।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति किया जा सकेगा ।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए तीस प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे ।

(7) जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी अपेक्षित अनुभव के साथ आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा ।

(8) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार आरक्षण रहेगा।

12. **समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची**:–(1) समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति अवधारित करें तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा । यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी ।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्ययीन रहते हुये, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी सूची क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति**:– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये, एक समिति गठित की जायेगी, जिसें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सामाविष्ट होंगे ।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो ।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधो के अनुसार रोस्टर लागू होगा ।

(4) उप–नियम 3 में यथाविनिर्दिष्ट आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार रहेगी ।

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें**:– (1) उप–नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची–चार के कॉलम (4) में उल्लिखित पद/सेवा में या उन पदों पर या शासन द्वारा उनके समतुल्य घोषित किन्ही अन्य पदों पर उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और जो विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों ।

स्पष्टीकरण:– पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति:– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहुत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नही ।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण रहेगा ।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार पदोन्नति विधिमान्य रहेगी ।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया जानाः**– (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो । यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी ।

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु चयन, सभी प्रकार से वरिष्ठता का सम्यक् ध्यान रखते हुए, मेरिट (गुणागुण) तथा उपयुक्तता के आधार पर की जायेगी ।

(3) प्रत्येक चयन सूची की तैयारी के समय, सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथाविर्निदिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के कम से रखे जायेंगे ।

परन्तु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को जो समिति की राय में असाधारण मेरिट (गुणागुण) तथा उपयुक्तता का हो, उसे उसके वरिष्ठ व्यक्ति की तुलना में सूची में उच्च स्थान दिया जा सकेगा ।

(4) इस प्रकार तैयार किया गया सूची, प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरक्षित की जायेगी ।

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रकिया में, सेवा के किसी सदस्य का अवकमण किया जाना प्रस्तावित हो तो समिति प्रस्तावित अवकमण के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगी ।

स्पष्टीकरणः– ऐसा व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नही किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उनके ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नही होगा ।

16. **चयन सूची** :– (1) समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से, कॉलम (3) में उल्लिखित पदों पर पदोन्नति के लिये अंतिम सूची होगी ।

(2) चयन सूची, सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि इसे नियम 15 के उप–नियम (4) के अनुसार पुनर्विलोकित या पुनरक्षित न किया जाये ।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा ।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– चयन सूची में सम्मिलित व्यक्ति की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियों में, उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा जिस क्रम में चयन सूची में ऐसे सदस्यों के नाम आये हों ।

परंतु जहां प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि रिक्तियां तीन माह से अधिक समय के लिये संभाव्य नहीं है ।

18. **परिवीक्षाः**– सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।

19. **निर्वचनः**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

20. **शिथिलीकरणः**– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामलें में, जिस पर ये नियम लागू होते है, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उसे न्यायासंगत और साम्यपूर्ण प्रतीत हो, सीमित या कम करती है।

परन्तु कोई मामले ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21 **व्यावृत्ति** :–इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिये राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

22. **निरसन तथा व्यावृत्तिः–** इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत समस्त नियम, इन नियमों के अंर्तगत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है ।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंन्धों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.के.टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

अनुसूची एक

(नियम 5 देखिये)

वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	+ ग्रेड पे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उपयंत्री	02	तृतीय श्रेणी	9300–34800	4200
2	मानचित्रकार	01	तृतीय श्रेणी	9300–34800	4200
3	संभागीय लेखापाल	01	तृतीय श्रेणी	9300–34800	4200
4	सहायक ग्रेड–1	01	तृतीय श्रेणी	5200–20200	2800
5	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	02	तृतीय श्रेणी	5200–20200	2800
6	सहायक ग्रेड–3	02	तृतीय श्रेणी	5200–20200	1900
7	अनुरेखक	01	तृतीय श्रेणी	5200–20200	1900
8	वाहन चालक (ड्राइवर)	03	तृतीय श्रेणी	5200–20200	1900
9	भृत्य	03	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440	1300
10	चौकीदार	01	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440	1300
11	स्वीपर	01	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440	1300

अनुसूची दो

(नियम 6 देखिये)

भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से स्थानांतरण द्वारा
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिए)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिए)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सामान्य 1 प्रशासन विभाग	उपयंत्री	02	50 %		50 प्रतिशत अभियांत्रिकी विभागों में समकक्ष पद पर पदस्थ कर्मचारियों के स्थानांतरण द्वारा
2	मानचित्रकार	01			100 प्रतिशत अभियांत्रिकी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर
3	सभागीय लेखापाल	01			100 प्रतिशत महालेखाकार के कार्यालय से
4	सहायक ग्रेड–1	01			100 प्रतिशत अभियांत्रिकी विभागों या अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
5	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	02			100 प्रतिशत अभियांत्रिकी विभागों या अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
6	सहायक ग्रेड–3	02	50 %		50 प्रतिशत अभियांत्रिकी विभागों या अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
7	अनुरेखक	01			100 प्रतिशत अभियांत्रिकी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर
8	वाहन चालक (ड्राइवर)	03	100 %		सीधी भर्ती
9	भृत्य	01	100 %		– तदैव –
10	चौकीदार	01	100 %		– तदैव –
11	स्वीपर	01	100 %		– तदैव –

अनुसूची– तीन

(नियम 8 देखिये)

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अर्हता

विभाग का नाम	सेवा तथा पदों का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विधि शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 सामान्य प्रशासन विभाग	उपयंत्री (सिविल)	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा मण्डल से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा ।	
2	सहायक ग्रेड–3	21 वर्ष	30 वर्ष	1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल या मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेन्ड्री या हाईस्कूल (10+2 शिक्षा पद्धति के अधीन) परीक्षा, कम से कम द्वितीय श्रेणी में उर्त्तीण होना चाहिए । 2. हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा मण्डल से या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा भी उर्त्तीण होना चाहिए । 3. जिस अभ्यर्थी ने अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा भी उर्त्तीण की हो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। 4. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री आपरेटर प्रोग्रामिंग में न्यूनतम एक वर्षीय डिप्लोमा तथा डाटा एंट्री का 5000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होना अनिवार्य है या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट (आधुनिक कार्यालय प्रबंधन) अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम में कम से कम द्वितीय श्रेणी मे पत्रोपाधि (डिप्लोमा) होना चाहिए एवं डाटा एंट्री का 5000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होना अनिवार्य है।	

3	वाहन चालक	18 वर्ष	35 वर्ष	8वी उत्तीर्ण एवं वैध ड्राइविंग लायसेंस ।	
4	भृत्य	18 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त किसी संस्था से 8वी उत्तीर्ण ।	
5	चौकीदार	18 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त किसी संस्था से 8वीं उत्तीर्ण ।	
6	स्वीपर पार्ट टाइम	18 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त किसी संस्था से 5वी उत्तीर्ण ।	

अनुसूची चार

(नियम 14 देखिये)

पदोन्नति के लिए आवश्यक अर्हताऐं एवं विभागीय पदोन्नति समिति का गठन

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	कॉलम (3) के पदों में पदोन्नति के लिये कॉलम (2) के पदों में न्यूनतम सेवा	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)
मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) कार्यालय 1	उपयंत्री	सहायक यंत्री	12 वर्ष की निरंतर सेवा	मुख्य अभियंता – अध्यक्ष उपसचिव (स्थापना) – सदस्य कार्यपालन यंत्री– सदस्य
2	भृत्य	सहायक ग्रेड–3	5 वर्ष की निरंतर सेवा	मुख्य अभियंता – अध्यक्ष उपसचिव (स्थापना) – सदस्य कार्यपालन यंत्री– सदस्य

रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2010

क्रमांक एफ 3–10/2007/1–7(PF-2). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09 फरवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.के.टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 161] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 अप्रैल 2016— वैशाख 6, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-10/2007/1-7 (पार्ट-2). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1-क	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	तृतीय श्रेणी	9300-34800	4300"

2. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक-1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1-क	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	100%	-	-"

3. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक-1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1-क	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिये 35 वर्ष.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में 60% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिये. अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान/ गणित/ अर्थशास्त्र/ सांख्यिकी में मास्टर डिग्री के साथ आपरेशन रिसर्च/ कम्प्यूटर साइंस (सूचना और प्रौद्योगिकी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा. अथवा कम्प्यूटर साइंस में स्नातक उपाधि एवं 60% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिये. अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में 60% अंकों के साथ बी. एससी. अथवा बी. सी. ए. होना चाहिये."	-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 3-10/2007/1-7 (पार्ट-2). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-4-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 26th April 2016

NOTIFICATION

No. F 3-10/2007/1-7 (Part-2). — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Chief Technical Examiner (Vigilance) Class-III Service Recruitment Rules, 2010, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. After serial number 1 and entries relating thereto of Schedule-1, the following shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1-A	Assistant Computer Programmer	01	Class-III	9300-34800	4300"

2. After serial number 1 and entries relating thereto of Schedule-II, the following shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1-A	Assistant Computer Programmer	01	100%	-	-"

3. After serial number 1 and entries relating thereto of Schedule-III, the following shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1-A	Assistant Computer Programmer	18 years	30 years (35 years for domicile residents of Chhattisgarh state)	Should have first division with 60% marks in Post Graduate degree in Computer Science from any recognized University. **Or** Master Degree in Physics/ Mathematics/ Economy/ Statistics, from any recognized University with post graduation diploma in Operation Research/ Computer Science (Information and Technology) **Or** Should have Graduation Degree in Computer Science and 60% marks in Post Graduation Diploma.	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Or	
				Should have 60% marks in B. Sc. or B. C. A. in Computer Science From recognized University."	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.